

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette



एस.जी.-डी.एल.-अ.-16032021-225924
SG-DL-E-16032021-225924

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 90]	दिल्ली, सोमवार, मार्च 15, 2021/फाल्गुन 24, 1942	[रा.रा.क्षे.दि. सं. 364
No. 90]	DELHI, MONDAY, MARCH 15, 2021/ PHALGUNA 24, 1942	[N. C. T. D. No. 364

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 15 मार्च, 2021

फा. सं. एए/डीओटीसी/2016/प्राधि0 समिति/3034/128-137.—मानव अंग एवं उत्तक प्रत्यारोपण नियमावली, 2014 के नियम 12 के साथ पठित मानव अंग एवं उत्तक प्रत्यारोपण अधिनियम, 1994 (1994 का 42) की धारा 9 की उप धारा (4) के खण्ड (ख) के अनुसरण में तथा आर्मी अस्पताल (आर एण्ड आर) दिल्ली कैंट, दिल्ली - 110010 के संबंध में दिनांक 20 जनवरी, 2014 की का.आ. 217 (अ) के अनुसार भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग - II खण्ड-3, उप खण्ड (ii) में प्रकाशित स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना के अधिक्रमण में माननीय स्वास्थ्य मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार एतद्वारा आर्मी अस्पताल (आर एण्ड आर) दिल्ली कैंट, दिल्ली - 110010 के लिए अधिसूचना की तिथि से अस्पताल आधारित प्राधिकार समिति का पुर्नगठन करते हैं, समिति में निम्नलिखित व्यक्ति शामिल होंगे, अर्थात् :-

- कमाण्डेंट
आर्मी अस्पताल (रिसर्च एण्ड रैफरल), छावनी दिल्ली
कैंट, दिल्ली - 110010
अध्यक्ष
- विभागाध्यक्ष, मैडीसिन
आर्मी अस्पताल (रिसर्च एण्ड रैफरल), छावनी दिल्ली
कैंट, दिल्ली - 110010
सदस्य

- | | | |
|----|---|-------|
| 3. | विभागाध्यक्ष, सर्जरी
आर्मी अस्पताल (रिसर्च एण्ड रैफरल), छावनी दिल्ली
कैंट, दिल्ली – 110010 | सदस्य |
| 4. | डॉ० (श्रीमती) दिपाली तिवारी
नं० 3, माल रोड दिल्ली कैंट । | सदस्य |
| 5. | श्रीमती सुमन तिवारी (प्रिंसीपल)
आर्मी अस्पताल प्राइमरी स्कूल,
दिल्ली कैंट । | सदस्य |
| 6. | सचिव (स्वास्थ्य) अथवा नामित
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
नौवा तल, दिल्ली सचिवालय, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट,
नई दिल्ली. | सदस्य |
| 7. | महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाएं का नामिती
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
अस्पताल सैल, एफ-17, कड़कड़डूमा, दिल्ली –32 | सदस्य |

यह माननीय स्वास्थ्य मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के पूर्व अनुमोदन से जारी किया जाता है ।

अजय बिष्ट, उप सचिव

DEPARTMENT OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

NOTIFICATION

Delhi, the 15th March, 2021

F. No. AA/DOTC/2016/Auth. Comm./3034/128-137.—In accordance with clause (b) of sub-section (4) of section 9 of the Transplantation of Human Organs and Tissues Act, 1994 (42 of 1994) read with rule 12 of the Transplantation of Human Organs and Tissues Rules, 2014 and in supersession of the notification of the Government of India, Ministry of Health and Family Welfare, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II Section 3, Sub-section (ii), vide No. S.O. 217(E) dated 20th January, 2014 in so far as it relates to Army Hospital (R&R) Delhi Cantt. Delhi-110010, Hon'ble Health Minister, GNCT of Delhi hereby reconstitutes the Hospital Based Authorization Committee for Army Hospital (R&R) Delhi Cantt. Delhi-110010, consisting of the following persons with effect from the date of notification namely:

- | | | |
|----|--|----------|
| 1. | Commandant
Army Hospital (Research and Referral)
Cantonment, Delhi Cantt-110010 | Chairman |
| 2. | Head Department of Medicine
Army Hospital (Research and Referral)
Cantonment, Delhi Cantt-110010 | Member |
| 3. | Head Department of Surgery
Army Hospital (Research and Referral)
Cantonment, Delhi Cantt-110010 | Member |
| 4. | Dr. (Mrs.) Deepali Tewari
No. 3 Mall Road, Delhi Cantt. | Member |
| 5. | Mrs. Suman Tiwari (Principal)
Army Hospital Primary School,
Delhi Cantt. | Member |

-
- | | |
|---|--------|
| 6. Secretary (Health) or nominee
GNCT of Delhi, 9th Floor,
Delhi Secretariat, IP Estate, New Delhi. | Member |
|
 | |
| 7. Directorate General Health Services,
Government of NCT of Delhi
Hospital Cell, F-17 Karkardooma, Delhi-32. | Member |

This issue with the prior approval of Hon'ble Minister of Health, GNCTD.

AJAY BISHT, Dy. Secy.